उत्तरांचल शासन

पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा

संख्या 485 /XII/ 2005/90(11)2005

देहरादून दिनांक 18 जून 2005

अधिसूचना

राज्यपाल उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961(उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त)(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, सन 1961) की धारा 237, धारा 238 एवं 239 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उत्तर प्रदेश जिला परिषद(विभव और सम्पति कर का आरोपण निर्धारण वसूली)नियमावली 1994 (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त)को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते है:-

उत्तरांचल, (उ0प्र0 जिला परिषद(विभव और सम्पत्ति कर का आरोपण निर्धारण और वसूली) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2005

1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल, उ0प्र0 जिला परिषद (विभव और सम्पत्ति कर का आरोपण निर्धारण और वसूली) (प्रथम संशोधन)नियमावली, 2005 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

2. उत्तर प्रदेश जिला परिषद (विभव और सम्पत्ति कर का आरोपण निर्धारण और वसूली) नियमावली, 1994 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) में, नियम-7 में नीचे स्तम्भ-1 दिये गये विद्यमान खण्ड के स्थान -2 दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
7-कर आरोपित करने की शर्ते और निर्बन्धन-कर आरोपण निम्नलिखित शर्तो और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये किया जायेगा:	7-कर आरोपित करने की शर्ते और निर्बन्धन-कर आरोपण निम्नलिखित शर्तो और निर्वन्धनों के अधीन रहते हुये किया जायेगा:
(क) कर की दर वही होगी, जो अधिनियम की धारा 128 की उपधारा(2) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय,.	(क) कर की दर वही होगी, जो अधिनियम की धारा 128 की उपधारा(2) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय,.
(ख) कर का निर्धारण निकटतम रुपये तक किया जायेगा 50 (पचास) पैसे से कम की धनराशि पर विचार नहीं किया जायेगा, जबकि 50 पैसे या उससे अधिक की धनराशि की गणना एक रुपये में की जायेगी ।	(ख) कर का निर्धारण निकटतम रुपये तक किया जायेगा 50 (पचास) पैसे से कम की धनराशि पर विचार नहीं किया जायेगा, जबकि 50 पैसे या उससे अधिक की धनराशि की गणना एक रुपये में की जायेगी ।
(ग) किसी व्यक्ति पर आरोपित कर की कुल धनराशि 6000 रुपये(छः हजार रुपये) प्रतिवर्ष से अधिक न होगी ।	(ग) किसी व्यक्ति पर आरोपित कर की कुल धनराशि 15,000-00 रुपये(पन्द्रह हजार रुपये) प्रतिवर्ष से अधिक न होगी ।

(पी0के0महान्ति)
सचिव

संख्या 485 /XII/ 2005/90(11)2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तरांचल, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूं मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून।
6. उपनिदेशक, पंचायत प्रकोष्ठ, उत्तरांचल देहरादून।
7. समस्त मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरांचल।
8. समस्त वित्तीय परामर्शदाता, उत्तरांचल।
9. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तरांचल।
10. .उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय,(लिथो प्रैस) रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की आगामी अंक में इस अधिसूचना को प्रकाशित करते हुये गजट की 100 प्रतियॉं उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल देहरादून।
12. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(पी0के0महान्ति)

सचिव

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.485 XII/2005/90(11)/2005, dated 18 June, 2005

No. 485/XII/2005/90(11)/2005
Dated Dehradun, 18 June 2005

NOTIDICATION

In exercise of the powers conferred by section 237, 238 &239 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961(as applicable in the State of Uttaranchal) (U.P.Act no.XXXIIIof 1961) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Zilla Panchayats (Imposition, Assessment and Collection of Circumstances and property Tax) Rules-1994(as applicable in the State of Uttaranchal).

THE UTTARANCHAL, (THE UTTAR PRADESH ZILA PANCHAYATS (Imposition, Assessment and Collection of Circumstances and property Tax) Rules-1994(as applicable in the Uttaranchal).(first Amendment) Rules-2005

1. (1) These rules may be called the Uttaranchal(Uttar Pradesh Zila PANCHAYATS (Imposition, Assessment and Collection of Circumstances and property Tax) (first Amendment) Rules-2005.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. In the Uttar Pradesh Zila Panchayats, (Imposition, Assessment and Collection of Circumstances and property Tax) Rules-1994(as applicable in the Uttaranchal). Rule 07 as set out in Column I below, the rule 07 as set out in Column 2, shall be substituted, namely:-

Column I **Existing Clause**	**Column II** **Clause as hereby Submitted**
Conditions 7. the tax shall be imposed subject to the following conditions and restrictions:-	Conditions 7. the tax shall be imposed subject to the following conditions and restrictions:-
(a) the rate of the tax shall be as specified in the notification under sub-section(2) of section 128 of the Act;	(a) the rate of the tax shall be as specified in the notification under sub-section(2) of section 128 of the Act;
(b)the tax shall be assessed to the nearest rupee. The amount less than(fifty) 50 paise shall not be taken into account, whereas amount of 50 paise or above shall be counted as one rupee;	(b)the tax shall be assessed to the nearest rupee. The amount less than(fifty) 50 paise shall not be taken into account, whereas amount of 50 paise or above shall be counted as one rupee;
(c) the total amount of tax imposed on any person shall not exceed to Rupees 6000/-(six thousand) per annum.	(c) the total amount of tax imposed on any person shall not exceed to Rupees 15000/-(Fifteen thousand) per annum.

14/6/05

(P.K.MOHANTY)
Secretary